

पहली नियुक्ति पर या 31 मार्च, 20.....को यथाविद्यमान आस्तियों और दायित्वों की विवरणी
(लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 की धारा 44 के अधीन)

1. लोक सेवक का पूरा नाम (स्पष्ट अक्षरों में)
2. (क) वर्तमान में धारित लोक स्थिति
- (पदनाम, नाम और संगठन का पता)
- (ख) किस सेवा से संबंधित है (यदि लागू है)

घोषणा -

यह घोषणा करता हूँ कि लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 की धारा 44 के उपबंधों के अधीन, मेरे द्वारा, प्रस्तुत की जाने वाली सूचना की बाबत संलग्न विवरणी अर्थात् प्ररूप 1 से प्ररूप 4 मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और ठीक है।

तारीख.....

हस्ताक्षर.....

*पहली नियुक्ति की दशा में, कृपया नियुक्ति की तारीख उपदर्शित करें।

टिप्पण 1. इस विवरणी में या तो उसके स्वयं के नाम या किसी अन्य व्यक्ति के नाम लोक सेवक की सभी आस्तियों और दायित्वों की विशिष्टियाँ अंतर्विष्ट होंगी। विवरणी में लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 की धारा 44 (2) में यथाउपबंधित पति या पत्नी और आश्रित बालकों की आस्तियों/दायित्वों की बाबत ब्यौरे सम्मिलित होंगे।

(धारा 44(2) लोक सेवक उस तारीख से जिसको वह अपना पदग्रहण करने के लिए शपथ लेता है या प्रतिज्ञान करता है, तीस दिन की अवधि के भीतर सक्षम प्राधिकारी को —

(क) उन आस्तियों के संबंध में जिनका वह उसका पति या पत्नी और उसके आश्रित बालक संयुक्ततः या पृथकतः स्वामी या फायदाग्राही हैं ;

(ख) अपने और अपने पति या पत्नी और अपने आश्रित बालकों के दायित्वों के संबंध में,

सूचना देगा।

टिप्पण 2. यदि कोई लोक सेवक, या तो "कर्ता" या किसी सदस्य के रूप में कुटुंब की संपत्तियों में सह समांशी अधिकारों के साथ हिंदू अविभक्त कुटुंब का सदस्य है तो उसे ऐसे संपत्ति में अपने भाग का मूल्य प्ररूप सं 3 की विवरणी में उपदर्शित करना चाहिए और जहां ऐसे भाग का ठीक मूल्य उपदर्शित करना संभव नहीं है वहां इसका लगभग मूल्य उपदर्शित हो, स्पष्टीकारक टिप्पणियों को जोड़ा जा सकेगा, जहां कहीं आवश्यकता हो।

टिप्पण 3. "आश्रित बालक" से ऐसे पुत्र और पुत्रियाँ अभिप्रेत हैं जिनके पास उपार्जन का कोई पृथक साधन नहीं है और वे अपनी आजीविका के लिए पूर्णतः लोकसेवक पर आश्रित हैं। (नीचे लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 की धारा 44(3) का स्पष्टीकरण

परिशिष्ट - 2
(नियम 3 (1) देखिए)

प्ररूप संख्या 1

लोकसेवक, उसके पति या पत्नी और आश्रित बालकों के ब्यारे

| क्रम संख्या | | नाम | धारित लोक स्थिति यदि कोई हो | क्या विवरणी, उसके द्वारा पृथक रूप से फाइल की जाती है। |
|-------------|--------------|-----|-----------------------------|---|
| 1 | स्वयं | | | |
| 2 | पति या पत्नी | | | |
| 3 | आश्रित - 1 | | | |
| 4 | आश्रित - 2 | | | |
| 5* | आश्रित - 3 | | | |

*और पंक्ति जोड़े, यदि आवश्यक हैं

तारीख

हस्ताक्षर

प्ररूप सं० २

पहली नियुक्ति पर या ३१ मार्च, २०.....को यथाविद्यमान जंगम संपत्ति का विवरण
(स्वयं, पति या पत्नी और आश्रित प्रत्येक बालक के लिए पृथक शीट का प्रयोग करें)

| क्रम सं० | विवरण | टिप्पणियां, यदि कोई हों |
|----------|---|-------------------------|
| (i)* | नकदी और बैंक में अतिशेष : | |
| (ii)** | बीमा (संदत्त प्रीमियम) : | |
| | नियत/आवर्ती जमा : | |
| | शेयर/बाँड : | |
| | पारस्परिक निधि (निधियां) : | |
| | पेंशन स्कीम/भविष्य निधि | |
| | अन्य विनिधान, यदि कोई हों : | |
| (iii) | किसी व्यक्ति या अस्तित्व जिसके अंतर्गत फर्म, कंपनी, न्यास आदि भी हैं को दिया गया व्यक्तिगत ऋण/अभिदाय (एडवांस) और ऋणियों से प्राप्त अन्य प्राप्तियां और रकम (यथास्थिति, दो मास का मूल वेतन या एक लाख रुपए से अधिक) : | |
| (iv) | मोटर यान (निर्माण, रजिस्ट्रीकरण संख्या, क्रय करने का वर्ष और संदत्त रकम के ब्यौरे) : | |
| (v) | आभूषण [अनुमानित भार (सोना बहुमूल्य रत्न की बाबत १० ग्राम अधिक या कम ; चांदी की बाबत १०० ग्राम अधिक या कम)] | |
| | सोना : | |
| | चांदी : | |
| | बहुमूल्य धातुएं और बहुमूल्य रत्न : | |
| | मिश्रित मर्दें : (अनुमानित मूल्य उपदर्शित करें)*** | |
| (vi) | कोई अन्य आस्ति : [उपरोक्त (i) से (v) के अंतर्गत न आने वाली जंगम आस्तियों के ब्यौरे दें] (क) फर्नीचर (ख) फिक्सचर (ग) प्राचीन वस्तुएं (घ) रंगचित्र (पेंटिंग) (ङ) इलेक्ट्रॉनिक उपस्कर (च) अन्य | |

| | |
|--|--|
| (किसी प्रवर्ग की बाबत ब्यौरे तभी उपदर्शित करें यदि उस विशिष्ट प्रवर्ग (अर्थात् फर्नीचर, फिक्सचर, इलेक्ट्रानिक उपस्कर आदि) में सम्मिलित किसी विशिष्ट आस्ति का कुल वर्तमान मूल्य, यथास्थिति, दो मास के मूल वेतन या 1.00 लाख रुपए से अधिक हो) | |
|--|--|

तारीख.....

हस्ताक्षर.....

*विदेशी बैंक (बैंको) में जमाओं के ब्यौरे पृथक रूप से दिए जाएंगे ।

**2 लाख रुपए से अधिक के विनिधानों व्यक्तिगतरूप से रिपोर्ट किए जाएंगे । 2 लाख रुपए से कम के विनिधान एक साथ रिपोर्ट किया जा सकता है ।

***पहली विवरणी में उपदर्शित मूल्य को पश्चातवर्ती विवरणियों में पुनरीक्षित करने की आवश्यकता नहीं है जहां तक सुसंगत वर्ष के दौरान कोई नई संयुक्त मद अर्जित नहीं की गई हो या किन्हीं विद्यमान मदों का निपटारा नहीं किया गया हो ।";

प्ररूप सं० 3

पहली नियुक्ति पर या 31 मार्च, 20..... को यथाविद्यमान स्थावर संपत्ति का विवरण

(लोक सेवक, उसके पति या पत्नी और आश्रित बालकों द्वारा धारित)

| क्रम संख्या | संपत्ति का वर्णन, (भूमि/गृह/फ्लैट/दुकान/औद्योगिक आदि) | सुनिश्चित अवस्थिति का सार (जिला, प्रभाग, ताल्लुक और उस ग्राम का नाम जिसमें अवस्थिति है और इसकी सुविन्न संख्या आदि) | भूमि का क्षेत्र (भूमि भवनों के मामलों में) | भूमि संपत्ति के मामले में भूमि की प्रकृति | हित विस्तार का | यदि लोक सेवक नाम तो किसके नाम है, करे उससे सेवक की नातेदारी, यदि कोई | अर्जन तारीख | कैसे अर्जित की गई (क्या क्रय, बंधक, पट्टे, विरासत, दान या अन्यथा द्वारा है) और उस व्यक्ति/ व्यक्तियों के ब्योरे सहित नाम जिनसे अर्जित की गई है (पता और संबद्ध व्यक्ति/व्यक्तियों का सरकारी सेवक से संबंध, यदि कोई है) कृपया नीचे टिप्पण 1 देखें और अर्जन की लागत | संपत्ति का वर्तमान मूल्य (यदि मूल्य ज्ञात न हो तो लगभग मूल्य उपदर्शित किया जाए) | संपत्ति का कुल आय | से टिप्पणियां |
|-------------|---|--|--|---|----------------|--|-------------|--|---|-------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

तारीख.....

हस्ताक्षर.....

टिप्पण - 1. स्तंभ 9 के प्रयोजन के लिए, पट्टा "पट्टे" से वर्ष दर वर्ष से अधिक अवधि के लिए या वार्षिक किराए के लिए आरक्षित अवधि के लिए स्थावर संपत्ति का पट्टा अकिप्रेत होगा तथापि जहां स्थावर संपत्ति का पट्टा किसी ऐसे व्यक्ति से प्राप्य होता है जिसका सरकारी सेवक के साथ शासकीय संबंध है, ऐसे पट्टे की अवधि को चाहे यह अल्पकालिक हो या दीर्घकालिक हो और किराए के संदाय की कालिकता पर ध्यान दिए बिना दर्शाया जाना चाहिए।

प्ररूप सं0 4

पहली नियुक्ति पर या 31 मार्च, 20.....को यथाविद्यमान ऋणों और अन्य दायित्वों का
विवरण

| क्रम सं0 | ऋणी (स्वयं/ पति या पत्नी या आश्रित बालक) | लेनदार का नाम और पता | ऋण/दायित्व की प्रकृति और रकम | टिप्पणियां |
|----------|--|----------------------|------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

तारीख.....

हस्ताक्षर.....

टिप्पण 1 : उधारों की व्यक्तिगत मदों को जो दो मास के मूल वेतन से अधिक नहीं है (जहां लागू हों) और अन्य दशाओं में 1.00 लाख रुपये हैं, सम्मिलित किये जाने की आवश्यकता नहीं है ।

टिप्पण 2 : विवरण में बैंको, कंपनियों, वित्तीय संस्थाओं, केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार से और व्यष्टियों से लिए गए विभिन्न ऋणों और अभिदायों (एडवांसी) को सम्मिलित करना होगा ।